

कम्प्यूटर पर पत्र नं० 1516035 दिनांक 21-8-2015

पत्र संख्या / (शोध / जी०एस०टी) / पैन अपडेशन / 2015-16 / 166 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(जी०एस०टी०-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: अगस्त : 21, 2015

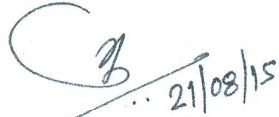
**समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / कारपोरेट सेल)
समस्त कर-निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

कृपया मुख्यालय के पूर्व पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC Comp.(S/W)-(2014-15)/754/1415107 दिनांक 30-12-2014 तथा पत्र संख्या आई०टी० NIC Comp.(S/W)-(2014-15)/817 दिनांक 22 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ लें जिनके द्वारा प्रस्तावित जी०एस०टी० व्यवस्था हेतु विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के पैन अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। खेद का विषय है कि मुख्यालय के लगातार निर्देशों के बावजूद उपरोक्त विषय में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है तथा इस दिशा में अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास असंतोषजनक रहे हैं।

इम्पावर्ड कमेटी द्वारा सूचित किया गया है कि राज्यों द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के पैन वेलीडेशन का कार्य सितम्बर-2015 तक पूर्ण किया जाना है ताकि जी०एस०टी०एन० द्वारा अक्टूबर-2015 से व्यापारियों को जी०एस०टी०न जारी करना प्रारम्भ करके माह नवम्बर-2015 तक पूर्ण कर लिया जाये। इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 76 के अन्तर्गत समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 19-08-2015 को नोटिस जारी कर व्यापारियों को सूचित किया गया है तथा उन्हें अपना सही पैन नं० दिनांक 31-08-2015 तक अनिवार्य रूप से संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय में पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त अन्तिम तिथि तक सूचना न देने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने की भी सूचना दी गयी है। विज्ञापन की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता का है। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारी अभियान चलाकर पैन अपडेशन की कार्यवाही दिनांक 31-08-2015 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायें। इस हेतु अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त संबंधित व्यापारियों को नोटिस, दूरभाष तथा अन्य संचार माध्यमों से अवगत कराकर उनका सही पैन नं० प्राप्त कर अपडेट करना सुनिश्चित करें। इस हेतु व्यापारिक संगठनों एवं अधिवक्ता संघों के माध्यम से भी प्रचार/प्रसार किया जायें। अन्तिम तिथि के बाद मुख्यालय द्वारा समीक्षा पर जिन कर-निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के व्यापारियों के पैन अपडेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं पायी जायेगी उनके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

